

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डी

दिनांक _____ फर्द अहकाम _____

12/12/2012 पत्तावली केरा इ. वादी व वादी वकील
 उपस्थित नदी, उमरगा में वादी व
 वादी व वादी वकील को अमान लगवाने
 पाने के बावजूद वादी व वादी वकील
 उपस्थित नदी, इससे जादिए है कि
 उमरगा के वादी व वादी वकील को
 चलाने में रुचि नदी ले रहे। अतः
 मुकदमा नं. 23/2012 दावा अमान लगाने
 शिवराम अफम पेरी व अफम इति
 में खारिज किया जाता है। पत्तावली
 फेरल शुमार किया जाकर, नमूने
 से काम कर, दायित्व दफ्तार को

